Scholarship Incharge
Topendra Parghaniya
21/05/2025

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलौदाबाजार-भाटापारा छ०ग०

क्रमांक/ 496 /आ.वि./ऑ.ला.पो.मे.छा./2025–26 बलौदाबाजार, दिनांकः– 21.05.2025

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/पॉलीटेक्नीक/औघोगिक प्रशिक्षण संस्थां
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, छ.ग.

विषयः– वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में।

संदर्भ :– आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र./ऑ.ला.पो.मै.छा./215/2025–26/1742 नवा रायपुर दिनांक 19.05.2025

——:000:——

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आदि के संस्था प्रमुख व छात्रवृत्ति प्रभारी को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025–26 हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाना है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 में निम्नानुसार अंतिम तिथि तथा अंतिम अवसर निर्धारित की गई है।

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनीकरण	31 मई 2025	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 सितम्बर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2025–26 की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा। Draft Proposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जावेगा। संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंछित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बलौदाबाजार-भाटापारा

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता :–

1- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. **2.50 लाख प्रतिवर्ष**, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय सीमा रू. **1.00 लाख प्रतिवर्ष**।
2- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
3- छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
4- विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम अपलोड करना अनिवार्य है।
5- **PFMS** के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि** ही करना सुनिश्चित करें।

पृ. क्रमांक / 497 /आ.वि. /ऑ.ला.पो.मे.छा. /2025–26 बलौदाबाजार, दिनांकः– 21.05.2025

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, अटल नगर नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा को सादर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बलौदाबाजार-भाटापारा